न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करना

78 **श्री बलराज कुंडू (महम):**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) क्या राज्य में किसानों के लिए नयूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या किसानों को डी.ए.पी./यूरिया/उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ रहा हैं तथा विशेष कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

महोदय,

(क) नयूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा तय और अधिसूचित किया जाता है। इसलिए, नयूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के संबंध में कोई भी निर्णय भारत सरकार का विशेषाधिकार है। हालाँकि, राज्य सरकार राज्य में धान, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, तिल, उर्द, अरहर, कपास, गेहूं, जौ, सरसों, सूरजमुखी, चना की नयूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीद का विवरण **अनुलग्नक** '**ए**' में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, खरीफ 2021 से बाजार दरों और नयूनतम समर्थन मूल्य के अंतर को प्रदान करने के लिए भावांतर भरपाई योजना

बाजरा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। भावांतर भरपाई योजना बाजरा के तहत, 440.02 करोड़ रुपये खरीफ 2021 और 390.20 करोड़ रुपये की राशि खरीफ 2022 के दौरान डीबीटी के माध्यम से क्रमशः 2.43 लाख तथा 2.76 लाख किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।

राज्य सरकार ने 21 नष्ट होने वाली बागवानी फसलों की बाजार में कम कीमत के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 01.01.2018 से भावांतर भरपाई योजना भी शुरू की है। विवरण **अनुलग्नक 'बी'** में दिया गया है।

(ख) रबी 2023-24 सीज़न के दौरान राज्य में डीएपी/यूरिया/उर्वरक की कोई कमी नहीं है। दिनाक 15.12.2023 तक 6.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 2.04 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मात्रा किसानों को वितरित की जा चुकी है और राज्य में 1.55 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.34 लाख मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। राज्य कृषि विभाग नियमित रूप से उर्वरकों की उपलब्धता, बिक्री और स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है और कीटनाशकों सहित कृषि सामग्री की किसानों को जबरन बिक्री के मामले में दोषियो के खिलाफ 2023-24 के दौरान 53 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 31 लाइसेंस निलंबित और 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

अनुलग्नक 'ए

वर्ष	धान (एलएमटी)	गेहूं (एलएमटी)	बाजरा (एमटी)	मक्का (एमटी)	सूरजमुखी (एमटी)	सरसों (एमटी)	मूंग (एमटी)	चना (एमटी)	चना (एमटी)	कपास (गांठें)
2015-16	42.70	67.70	5,094		4,164	-	-	-	-	-
2016-17	53.48	67.54	6,341		4,784	-	-	-	-	-
2017-18	59.57	74.25	31,449		8,459	36,942	-	-	-	-
2018-19	58.82	87.57	1,83,109	175	4,926	2,69,196	225	-	-	-
2019-20	64.71	93.60	3,10,921		13,156	6,19,622	3,752	200	-	6,22,000
2020-21	56.54	74.01	7,76,909	4016	16,489	7,47,633	1,099	10,637	649	10,57,000
2021-22	55.30	84.93	**	244	4,065	*	1,229	*	*	*
2022-23	59.35	41.85	81,313 + **		-	*	-	1,240	*	*
2023-24	57.24	62.90	3,67,199		-	5,78,416	-	-	*	17,855

* बाजार दरें नयूनतम समर्थन मूल्य से अधिक

** भावांतर भरपाई योजना

*** बाजार भाव अधिक होने के कारण जौ, अरहर, उड़द और तिल की खरीद नहीं हो सकी।

अनुलग्नक 'बी'						
सीज़न	अवधि	पंजीकृत किसान	क्षेत्र पंजीकृत	किसानों को लाभ		
				फसल	संख्या	राशि (लाख)
2017-18	1 जनवरी से 15 जून 2018 तक	4,435	10,789	टमाटर	565	12.08
2018-19	10 अक्टूबर 2018 से 15 जून 2019 तक	17,970	66,351	आलू	3,244	919.34
				फूलगोभी	169	21.15
2019-20	15 सितम्बर 2019 से अगस्त 2020 तक	36,991	84,830	आलू	209	59.24
				टमाटर	8	23.41
2020-21	1 सितंबर 2020 से अप्रैल 2021	30,170	54,120	-	-	-
2021-22	1 सितंबर 2020 से अप्रैल 2021	56,089	1,20,466	भिन्डी	1	0.01
				मिर्च	1	0.28
				करेला	13	3.65
				शिमला मिर्च	16	2.04
				किन्नू	2	0.70
				टमाटर	92	16.08
				आम	4	11.74
				फूलगोभी	92	23.02
				प्याज	3	0.06
				आलू	984	319.41
2022-23	**मई** 2021 **से** 30.11.2022 **तक**	59,451	1,28,876	गाजर	1	2.18
				लहसुन	17	16.70
				प्याज	6	0.17
				आलू	4,058	886.19
2023-24	**दिसंबर** 2022 **से जनवरी** 2023	14,687	21,293		**2,597**	**1008.76**
	फरवरी 2023 **से अगस्त** 2023				**4,271**	**3062.90**
		2,19,793	**4,86,725**	**कुल**	**16,353**	**6389.11**